



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269035  
CG-DL-E-02012026-269035

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5905]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5905]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6105(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

i. कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

i. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

ii. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

i. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

ii. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

iii. डॉ. मनोहर अग्रानी, पूर्व आईएएस, प्रोफेसर (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

**IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:**

- डॉ. वीना कुमारी सिंह, विभागाध्यक्ष, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना
- प्रोफेसर राकेश कपूर, प्रोफेसर (रेडियोथेरेपी एवं ऑन्कोलॉजी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
- डॉ. नित्या गोगटे, प्रोफेसर (क्लिनिकल फार्माकोलॉजी), केईएम, मुंबई
- डॉ. ललित दर, प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
<b>धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :</b>		
1.	कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	
<b>धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :</b>		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
<b>धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :</b>		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
<b>धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :</b>		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
<b>धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :</b>		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. मनोहर अग्रानी, पूर्व आईएएस, प्रोफेसर (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	
10.	डॉ. हेमंत कुमार संस्थान निकाय के अध्यक्ष	14.08.2025 को जारी का. आ. 3781(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 19082025-265509 के तहत प्रकाशित
<b>धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :</b>		
11.	डॉ. वीना कुमारी सिंह, विभागाध्यक्ष, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना	
12.	प्रोफेसर राकेश कपूर, प्रोफेसर (रेडियोथेरेपी एवं ऑन्कोलॉजी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	

13.	डॉ. नित्या गोगटे, प्रोफेसर (क्लिनिकल फार्माकोलॉजी), केईएम, मुंबई	
14.	डॉ. ललित दर, प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
<b>धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :</b>		
15.	श्री रमाशंकर राजभर, संसद सदस्य, लोक सभा	10.03.2025 को जारी का. आ. 1118(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.- अ.- 11032025-261551 के तहत प्रकाशित
16.	श्री रविंद्र शुक्ला उर्फ रवी किशन, संसद सदस्य, लोक सभा	
17.	डॉ. दिनेश शर्मा, संसद सदस्य, राज्य सभा	28.12.2023 को जारी का. आ. 5479(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.- अ.- 30122023-250967 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/100/2023-PMSSY-IV(8218671)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

**S.O. 6105(E).**— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Gorakhpur :**

#### I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, Banaras Hindu University

#### II. Members under clause (d) of Section 4:

- Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance
- Director, Indian Institute of Technology, Kanpur – Representative of Ministry of Education

#### III. Members under clause (e) of Section 4:

- Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh or his/her nominee
- Dr. Manohar Agnani, Ex-IAS, Professor of Public Health

#### IV. Members under clause (f) of Section 4:

- Dr. Veena Kumari Singh, HoD, Department of Burns & Plastic Surgery, AIIMS, Patna
- Professor Rakesh Kapoor, Professor of Radiotherapy and Oncology, PGIMER, Chandigarh
- Dr. Nithya Gogtay, Professor of Clinical Pharmacology, KEM, Mumbai
- Dr. Lalit Dar, Professor of Microbiology, AIIMS, New Delhi

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
<b>Member under clause (a) of Section 4:</b>		
1.	Vice-Chancellor, Banaras Hindu University	
<b>Member under clause (b) of Section 4:</b>		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
<b>Member under clause (c) of Section 4:</b>		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
<b>Member under clause (d) of Section 4:</b>		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, Indian Institute of Technology, Kanpur – Representative of Ministry of Education	
<b>Member under clause (e) of Section 4:</b>		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. Manohar Agnani, Ex-IAS, Professor of Public Health	
10.	Dr. Hemant Kumar President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3781(E) dated 14.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-19082025-265509
<b>Member under clause (f) of Section 4:</b>		
11.	Dr. Veena Kumari Singh, HoD, Department of Burns & Plastic Surgery, AIIMS, Patna	
12.	Professor Rakesh Kapoor, Professor of Radiotherapy and Oncology, PGIMER, Chandigarh	
13.	Dr. Nithya Gogtay, Professor of Clinical Pharmacology, KEM, Mumbai	
14.	Dr. Lalit Dar, Professor of Microbiology, AIIMS, New Delhi	
<b>Member under clause (g) of Section 4:</b>		
15.	Shri Ramashankar Rajbhar, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 1118(E) dated 10.03.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-11032025-261551
16.	Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Dr. Dinesh Sharma, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 5479(E) dated 28.12.2023, published under Gazette ID No. CG-DL-E-30122023-250967

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/100/2023-PMSSY-IV(8218671)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.